वर्ष – 2023–2024

# ई– निविदा दस्तावेज

कार्य का नाम – मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आई0एस0बी0टी0 मे पार्किंग कार्य हेतु ई – निविदा आमंत्रित प्रपत्र।

# मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

ई–मेल आई0डी0– info.mdda@mddaonline.in
बेबसाइट – www.mddaonline.in

## ई– निविदा दस्तावेज

1. **ई– निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समयः**
   - निविदा सूचना प्रकाशित करने की तिथि – 12.09.2023
   - निविदा प्रपत्र विक्रय/डाउनलोड अवधि 13.09.2023
   - डाउनलोड की अन्तिम तिथि 26.09.2023 समय 2:00PM
   - डालने की अन्तिम तिथि 26.09.2023 समय 3:00PM
   - निविदा खोले जाने की तिथि/समय – 26.09.2023 समय 4:00PM

2. **कार्य का नाम व विवरण**

   मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आई0एस0बी0टी0 पर पार्किंग कार्य जैसा है जहां है के आधार पर ई – निविदा आमंत्रित।

- पार्किंग की अवधि दिनांक 01–10–2023 से दिनांक 30–09–2025 तक के लिये मान्य होगी। जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।
- निविदादाता द्वारा उक्त पार्किंग में पर्ची काटने हेतु इलैक्ट्रॉनिक पी0ओ0एस0 मशीन का प्रयोग किया जायेगा।
- पार्किंग स्टैण्ड पर सफल निविदादाता को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दरों को 6 X 4 के 06 बोर्ड अपने व्यय पर जनता के सूचनार्थ लगाने होगें। उक्त बोर्ड को अनुबन्ध अवधि तक अनुरक्षित रखा जायेगा।
- प्राधिकरण द्वारा पार्किंग हेतु निर्धारित दरें–
- <u>दो पहिया वाहन की निर्धारित पार्किंग दरें</u>–

  प्रथम एक घन्टे की पार्किंग दर रू0–20 प्रतिवाहन।

  एक से तीन घन्टे तक रू0–30 प्रतिवाहन।

  तीन घन्टे से अधिक रू0–50 प्रतिवाहन।

- <u>चार पहिया वाहन की पार्किंग दरें</u>

  प्रथम एक घन्टे की पार्किंग दर रू0–30 प्रतिवाहन।

  एक से तीन घन्टे तक रू0–50 प्रतिवाहन।

  तीन घन्टे से अधिक रू0–100 प्रतिवाहन।

  नाईट हॉल्ट की स्थिति में–200/वाहन।

  बस, ट्रक व भारी वाहन –250/वाहन

- प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह निर्धारित पार्किंग शुल्क को किसी भी समय बढ़ा सकता है। शुल्क बढ़ाने के बाद पार्किंग हेतु निर्धारित 2 वर्ष की अवधि में से अवशेष बची पार्किंग/अनुबन्ध अवधि का कुल निर्धारित मूल्य को उसी अनुपात में बढाया जाएगा, जो सम्बन्धित के द्वारा प्राधिकरण में जमा किया जाएगा।

3. निविदा हेतु पात्रता/ अर्हता :

- निविदादाता के पास निविदा अवधि के अन्तर्गत वैध कम्पनी/फर्म पंजीकरण होना अनिर्वाय है।
- निविदादाता के पास पैन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- फर्म का कार्यालय देहरादून में होना अनिवार्य है इस हेतु सम्बन्धित कार्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र जो चालिस लाख से कम तथा छः माह से पूर्व का न हो संलग्न करना अनिवार्य है।
- चरित्र प्रमाण पत्र जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो छः माह से पहले का न हो संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता फर्म को किसी संस्था से ब्लैक लिस्टेड न हो, का शपथ पत्र 100 रू के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- निविदादाता फर्म को पार्किंग संचालित करने का न्यूनतम 01 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। अनुभव सम्बन्धी आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- विगत वर्षो के बकायेदार टेंडर में भाग लेने के पात्र नही होंगे।
- निविदादाता फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का टर्न ओवर सम्मिलित कर रू0–10 लाख होना चाहिए, जो कि सी0ए0 द्वारा प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है।
- इच्छुक फर्म/निविदादाता/संस्था/ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष Assesment year 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का आयकर रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य है।
- चयनित निविदादाता को स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर निविदा की धनराशि पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 100 रू0 स्टॅाम्प पेपर जमा कर अनुबन्ध पूर्ण करना होगा।
- निविदादता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त करने एवं उसकी जमानत धनराशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को होगा।

4. **निविदा प्रक्रिया एवं निर्देशन :**

<u>प्रक्रिया:–</u>

- सर्वप्रथम ऑफ लाइन प्राप्त प्रपत्रों में (हार्ड कापी) जैसे निविदा शुल्क ई0एम0डी0 ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र तथा हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति का मूल्यांकन किया जायेगा तत्पश्चात सफल निविदादाता की तकनीकी निविदा को खोला जायेगा तथा तकनीकी निविदा में उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय प्रस्ताव को खोला जायेगा।
- निविदा नियम व शर्तो के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी है। सभी प्रपत्रों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
- निविदादाताओं को तकनीकी प्रस्ताव के साथ चैक लिस्ट (संलग्नक–2) के अनुसार दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना पूर्ण अभिलेखों के निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

निर्देशनः–

- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
- निविदादाता द्वारा भुगतान, जुर्माना तथा नियम व शर्तो आदि में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं होगा।

5. **स्कोप ऑफ वर्क एवं शर्तें :**

- प्राधिकरण द्वारा यदि पार्किंग हेतु ANPR (Automatic Number Plate Recognition) based computer system उपब्ध कराया जाता है तो सफल निविदादाता को उसे अनिवार्यता से लागू करना होगा एवं पार्किंग शुल्क इलेक्ट्रोनिक मशीन से ही वसूल करना होगा। जिसके आधार पर पार्क किये वाहनों की संख्या का संकलित विवरण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून को उपलब्ध कराना होगा।
- पार्किंग स्थल पर रजिस्टर मेन्टेन करना होगा तथा मासिक रिर्पोट एम.डी.डी.ए को उपलब्ध कराना होगा।
- पार्किंग स्थल पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे, साफ–सफाई, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था निविदादाता द्वारा अपने व्यय पर स्वयं करनी होगी, यदि पार्किंग क्षेत्र में गन्दगी पायी जाती है और प्राधिकरण द्वारा सफाई आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसमें आने वाले व्यय को निविदादाता को वहन करना होगा।
- पार्किंग में पार्क गाडियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
- संदिग्ध वाहन/वाहन चालकों की सूचना तत्काल पुलिस को दी जानी अनिवार्य होगी जिसका उत्तरदायित्व पार्किंग संचालक का होगा।
- पार्किंग स्थल से वाहन चोरी की दशा में वाहन मालिक कन्जयूमर फोरम में वाद दायर कर सकता है तथा कन्जयूमर फोरम द्वारा लिया गया निर्णय ही निविदादाता को मान्य होगा।
- पार्किंग स्थल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) व अन्य मा0 न्यायालयों के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
- यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि प्राधिकरण अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर निविदादाता को कोई क्षति होती है तो प्राधिकरण द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
- सफल निविदादाता द्वारा पार्किंग में लगाये गये कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में भेजना अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड में खडे होगें तथा पार्किंग संचालक के नाम विवरण सहित उपलब्ध करायेगा व बदलाव होने पर सूचित करना होगा।
- निविदादाता द्वारा बीच में पार्किंग का कार्य छोड़ने अथवा निविदा भंग किये जाने की दशा में उनके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा अन्य किसी भी एजेन्सी को दे दिया जायेगा तथा प्राधिकरण को जो भी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति फर्म से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर ली जायेगी।
- पार्किंग के पास शिकायत पेटी रखनी होगी।
- विद्युत बिल का भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा।

6. निविदा शुल्क :

- निविदा फार्म शुल्क रू0 1500/-

7. धरोहर राशि :

- निविदा हेतु धरोहर राशि के रूप में रू0 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का डी0डी0 जो सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के नाम बंधक हो, को तकनीकी बिड में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- धरोहर राशि, निविदा शुल्क सम्बन्धी रसीद ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र की हार्ड कापी सील बन्द लिफाफे में प्राधिकरण में निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय तक जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

8. कार्यपूर्ति प्रतिभूति

- अनुबन्ध के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता फर्म जिसके पक्ष में अनुबंध दिया जायेगा, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जायेगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपूर्ति अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत होगी, कार्यपूर्ति प्रतिभूति सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, के नाम सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी के रूप में करना होगा।
- कार्यपूर्ति धरोहर निविदादाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्व सम्मिलित है। कार्य अवधि पूर्ण होने के दिवस से 60 दिवस तक वैध होना आवश्यक है।
- सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा धरोहर वापस कर दी जायेगी। शेष निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा की अन्तिम तिथि 30 दिन के अन्दर अवमुक्त कर दी जायेगी।

**तकनीकी निविदा सम्बन्धी विवरणः-**

- ई-निविदा वेबसाईट- www.uktender.gov.in पर निर्धारित तिथि व समय तक उपलब्ध करायेंगे।
- निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय संलग्नक-2 के अनुसार प्रपत्रों को तकनीकी निविदा के साथ ई-निविदा वेबसाईट- www.uktender.gov.in उपलब्ध करना अनिवार्य है।
- निविदा के धरोहर के रूप में रू0-2,50,000/-की धनराशि की एफ0डी0आर0 की छायाप्रति तकनीकी बिड में संलग्न करनी अनिवार्य होगी जो कि सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के नाम देय होगी।

**वित्तीय प्रस्ताव :-**

- ई-निविदा प्रक्रिया में उक्त कार्य हेतु बी0ओ0क्यू0 के अनुसार दरें प्रस्तुत की जायेंगी। (संलग्न-1 बी0ओ0क्यू0)
- उच्चतम दरों के आधार निविदादाता फर्म का चयन किया जायेगा।
- वित्तीय निविदा हेतु तनकीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

वित्तीय निविदा सम्बन्धी विवरणः–

- प्राधिकरण द्वारा पार्किंग हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0–20,00,000/– (शब्दों में रू0–बीस लाख मात्र) निर्धारित है। रू0–20,00,000/– से अधिक वित्तीय निविदा अंकित करने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी।
- निविदादादाता की निविदा स्वीकृत होने पर दो वर्ष हेतु स्वीकृत पार्किंग शुल्क की धनराशि का 25 प्रतिशत 07 दिन के अन्दर तथा अवशेष माह दिसम्बर 2023 तक प्राधिकरण में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को पार्किंग हेतु स्वीकृत निविदा धनराशि पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त करना होगा।
- निविदादाता को पार्किंग का कार्य दिनांक 30.09.2025 तक सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
- निविदादाता को 100रू0 के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा तथा 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 पृथक से देय होगा।

9. **पैनल्टी :**

- निर्धारित तिथि तक पार्किंग की धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज राशि पृथक से देय होगा।
- निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण व अतिक्रमण नही करेगा तथा न ही किसी अन्य को सबलेट करेगा। ऐसा करने पर प्रतिबार रूपये – 20,000 (बीस हजार) की पेनल्टी लगायी जायेगी।
- उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
- बिना पर्ची के पार्किंग शुल्क लेने पर रूपये – 1000 (एक हजार) प्रति वाहन पेनल्टी लगायी जायेगी।

10. **विवाद की स्थिति :**

- फर्म तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मध्य कोई विवाद होने पर उसका निपटारा उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण स्तर पर किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

11. **निविदा स्वीकार/ स्वीकृति :**

- किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के पास सुरक्षित है।

12. क्षतिपूर्ति :

- किसी भी कारणवश वाहन चोरी/क्षति होने पर पूर्ण जिम्मेदारी/ जबाबदेही सफल निविदादाता फर्म/व्यक्ति की होगी।
- निविदा प्राधिकारी कार्यालय से किसी भी वाहन/व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा।

13. कार्य आदेश :

- यदि सफल निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध/कार्य आदेश के बाद निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करता अथवा संतोषजनक रूप से पार्किंग संचालित नही कर पाता है अथवा शर्तो का उलंघन करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए उसका अनुबंध एवं निविदा को निरस्त किया जायेगा अथवा फर्म को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है तथा H2 को H1 की दरों पर कार्य दिया जा सकेगा।

14. कार्य अवधि :

- उक्त कार्य की अवधि 02 वर्ष होगी, जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।

15. निविदा वैधता :

- निविदा की वैधता 45 दिन की होगी।

16. विलम्ब से प्राप्त निविदा :

- देर से प्राप्त (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद) निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. ई–निविदा का प्रकाशन :

- ई–निविदा उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.uktender.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा, इसके साथ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.mddaonline..in पर भी उपलब्ध रहेगा।
- ई–निविदा प्रक्रिया में विस्तार एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में प्राधिकरण की वेबसाईट पर शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जायेगा।

**चैक लिस्ट :**

- निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु चैक लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त निविदा में यदि कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशन किया गया है तो उसका अनुपालन भी आवश्यक है। **संलग्नक–2**

संलग्नक –1

# मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आई0एस0बी0टी0 पर पार्किंग कार्य हेतु ई –निविदा आमंत्रित

## (वित्तीय बिड–BOQ प्रपत्र)

| निविदा का नाम | निविदा वित्तीय दरें (रूपये में) |
|---|---|
| मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आई0एस0बी0टी0 पर पार्किंग कार्य हेतु ई –निविदा | |

संलग्नक – 2

ई–निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व अभिलेख जांच सूची (चैक लिस्ट) :

| क्रम सं0 | अभिलेख का विवरण | संलग्न किया (हॉ/नही) | विवरण/अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1. | कार्यालय देहरादून में होने का प्रमाण पत्र तथा 2 स्वंय सत्यापित फोटो | | |
| 2. | निविदा क्रय करने सम्बन्धी रसीद का विवरण (निविदा शुल्क 1500रू0) | | |
| 3. | हैसियत प्रमाण पत्र। | | |
| 4. | चरित्र प्रमाण पत्र। | | |
| 5. | निविदा हेतु धरोहर राशि के रूप में रू0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का एफ0डी0आर0 जो सचिव एम.डी.डी.ए., देहरादून के नाम बंधक हो, की कापी को तकनीकी बिड में संलग्न करना अनिवार्य होगा। | | |
| 6. | वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का टर्न ओवर रू0–10 लाख होना चाहिए, जो कि सी0ए0 द्वारा प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है। | | |
| 7. | कम्पनी/फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र। | | |
| 8. | जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र | | |
| 9. | पैन कार्ड की छाया प्रति | | |
| 10. | गत 03 वित्तीय वर्ष (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 Assesment year)का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र | | |
| 11. | 100 रू0 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र कि निविदादाता का नाम काली सूची में सम्मिलित नही है। | | |
| 12. | 1 वर्ष का पार्किंग संचालित करने का कार्य अनुभव। | | |